

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक: 06मार्च, 2024

संख्या-1/सी0-1020/2023-सा0प्र0-3980/लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम चरण-1 का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बैच वर्ष, 2023 के भा0प्र0से0 (बिहार संवर्ग) के परिवीक्षाधीन पदाधिकारी उक्त प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद जिला प्रशिक्षण हेतु राज्य में योगदान के लिए दिनांक 05.04.2024 के अपराहन में अकादमी से विरमित होंगे।

2. संबंधित सभी पदाधिकारियों को सहायक समाहर्ता-सह-सहायक दण्डाधिकारी के रूप में उनके नाम के सामने अंकित जिला से सम्बद्ध किया जाता है:-

| क्र. | पदाधिकारी का नाम              | पदस्थापन से संबंधित जिला |
|------|-------------------------------|--------------------------|
| 1    | सुश्री गरिमा लोहिया           | भागलपुर                  |
| 2    | श्री तुषार कुमार              | नालन्दा                  |
| 3    | सुश्री प्रतीक्षा सिंह         | बक्सर                    |
| 4    | श्री अनिरुद्ध पाण्डेय         | बांका                    |
| 5    | सुश्री कृतिका मिश्रा          | मधेपुरा                  |
| 6    | सुश्री अकांक्षा आनंद          | मुजफ्फरपुर               |
| 7    | श्री प्रधुम्न सिंह यादव       | किशनगंज                  |
| 8    | सुश्री अंजली शर्मा            | पटना                     |
| 9    | श्री रोहित कर्दम              | पूर्णिया                 |
| 10   | सुश्री शिप्रा विजयकुमार चौधरी | सारण, छपरा               |
| 11   | सुश्री नेहा कुमारी            | सिवान                    |

3. साथ ही, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन उपर्युक्त पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित जिला का कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है। इन सभी पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 के अन्तर्गत भी शक्तियों प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(जगदीश कुमार)


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-1/सी0-1020/2023-सा0प्र0-3980/पटना-15, दिनांक:06मार्च, 2024

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक

आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार,पटना/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/महानिदेशक, बिपार्ड, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना/उप निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी-248179 (उत्तराखण्ड)(फैक्स-0135-2632350/ई-मेल-adminesec.lbsnaa@nic.in/trginduction.

lbsnaa@gov.in)/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित परीक्ष्यमान पदाधिकारी/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग,कम्प्यूटर सेल/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 06 एवं 12 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के उप सचिव ।